THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA) (a) and (b) Yes, Sir. Soms of the operators have requested for postponement of deposit of licence fee for various quarters of 2nd year. The main reasons given by the operators for postponement is difficulty in arrafnging finance due to various reascHB. Each individual case is examined on its merit dependins; upon the progress made, availability of sufficient securities in the form of Financial Bank Guarantee etc. The delawd payment, if any, will also earry an element of penal interest.

(c) No, Sir.

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा की जाने वाली भूल/लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं की पेश आ रही कठिनाइयां

2330. **श्री ईश दत्त यादव** :
श्री रामगोपाल यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1997 के दैनिक जागरण में "आंखिन देखी: एम.टी. एन.एल.-1 भूल विभाग को, चक्कर काटने पड़तें है उपभोक्ताओं को" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विभाग को भूल/लापरवाही को सुधारते हुए उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) (i) उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने पर, टेलीफोन नं. 2222901 के बिल में संशोधन कर दिया गया हैं। इस किस्म की विसंगति की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए कंप्यूटर में आवश्यक सुधार कर दिया गया हैं।

(ii) जहां तक रिपोर्ट में उल्लिखित शेष तीन मामलों का संबंध हैं, एक मामले से, संबंध हैं, एक मामले में, सही प्रकार से टेलीफोन नम्बर का उल्लेख नहीं किया गया हैं, अन्य दो मामलों में, टेलीफोन नम्बरों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया हैं।

(ग) इस गलती के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सतर्कता जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

दूरसंचार विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक संवर्ग प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

2331. **श्री ईश दत्त यादव** :
श्री नागमणि :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग के वर्तमान ढांचे में उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा हैं:

(ख) क्या उच्च श्रेणी लिपिकों को संरक्षा प्रदान करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) संरकार ने इन उपायो के कार्योत्वन हेतु क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एक नोडल विभाग हैं, जो सभी मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय सचिवालय लिगिल सेवा

में भाग लेने वाले उ. श्रे. लि. संवर्गो को नियंत्रित करता हैं। उपरोक्त नोडल विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेंशों अनुसार दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग हेतु सभी मंत्रालयों विभागों में उ. श्रे. लि. के हितों पर निगरानी की जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नही उठते।

बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में डाक और तार सुविधाएं

2332. **श्री ईश दत्त यादव** :
श्री नागमणि:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायतों का जिलावर ब्यौरा क्या है जहां डाक और तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थापित की गई अथवा जाने वाली पंचायत संचार सेवा और तारघरों का जिला वार ब्यौरा हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए समयबद्व कार्यक्रम का ब्यौरा क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :(क) बिहार और उत्तर प्रदेश की उन ग्राम पंचायतों का जिला वार ब्यौरा क्रमश: विवरण । और विवरण ॥ में दिया गया हैं, जहां डाकघर नहीं हैं (नीचे देखिए)। तथापि, काउंटर डाक सुविधाएं निकट के डाकघर द्वारा सुलभ कर दी गई जाती हैं। डाक-वितरण की सुविधा सभी गांवो को प्रदान की गई हैं

बिहार और उत्तर प्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों में तार सुविधायें सुलभ नहीं हैं उनके संबंध मे जानकारी क्रमश: विवरण ॥। और ।V में दी गई हैं (नीचे देखिए)।

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश में 1996-97 के दौरान खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा क्रमश: विवरण V और VI में दिया गया हैं (नीचे देखिए)। 1997-98 के दौरान अब तक बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई पंचायत संचार सेवा केन्द्र नहीं खोला गया हैं।

वर्ष 1996-97 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई तारघर नहीं खोला गया और 1997-98 के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश में ज्ञानपुर जिला मुख्यालय में एक नौरघर खोला गया हैं।

(ग) डाकघर मानंदड आधारित औचित्य होने तथा संसाधन और लक्ष्य उपलब्ध रहने पर खोले जाते हैं।

जहां तक तार सेवाओं का संबंध हैं दूरसंचार विभाग की सभी ग्राम पंचायतों में तार सुविधा प्राप्त करने की कोई नीति नहीं हैं क्योकि यह सुविधा ट्रैफिक की मात्रा की मांग और औचित्य के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

विवरण-।

बिहार में ऐसी ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या जिन्हे डाक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं:

क्रम सं.	जिले का नाम	उन ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जिनमें डॉक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं
1	2	3
1.	सारण	38
2.	वैशाली	105
3.	भोजपुर	40
4.	बक्सर	16